... पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

3.5.17 वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के नोटिस तामील / अदम तामील प्राप्त नहीं हुए हैं। जो इन्तजार होकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 9.5.17 को पेश हो। पुनश्च: पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी हेतु दिनांक 9.5.17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

9.5.17 पत्रावली राजस्थान लोक अदालत अभियान प्रशासन आपके द्वार 2017 के अन्तर्गत शिविर केन्द्र कोशलू में पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। विपक्षीगण के तामील शुदा नोटिस प्राप्त हुए हैं। जो शामिल मिसल किये। प्रार्थी की ओर से आपत्ति पेश की गई कि आवेदन [illegible] प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर अनुसार कार्यवाही और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोशलू
पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.05/2017

प्रार्थी — **बनाम** — विप्रार्थीगण

अचलाराम पुत्र हरजीराम
जाति जाट निवासी चिपड़ी नाडी
सिणधरी जिला बाड़मेर

1.दीपाराम पुत्र कोशलाराम
2.मानाराम पुत्र भेराराम
3.चौखाराम पुत्र मलाराम
4.देराजराम पुत्र अचलाराम
5.ठाकराराम पुत्र शेराराम
6.मगाराम पुत्र जेठाराम
7.करनाराम पुत्र खेमाराम
8.लूम्बाराम पुत्र राजुराम
9.वीरमाराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी चिपडी नाडी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
10. तहसीलदार,सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री दलाराम चौधरी,अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी स.1 से 9 एकरतफा।

आदेश

दिनांक– 9.5.17

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चिपड़ी नाड़ी पटवार क्षेत्र नेहरो की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 157 रकबा 7–17 बीधा व खसरा सख्या 325 रकबा 19–10 बीधा,खसरा संख्या 325/2 रकबा 30 बीधा,खसरा सख्या 349 रकबा 0–10 बीधा व खसरा सख्या 350 रकबा 22 बीधा कुल रकबा 79–17 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम चिपड़ी नाड़ी पटवार क्षेत्र नेहरो की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 157 रकबा 7–17 बीधा व खसरा सख्या 325 रकबा 19–10 बीधा,खसरा संख्या 325/2 रकबा 30 बीधा,खसरा सख्या 349 रकबा 0–10 बीधा व खसरा सख्या 350 रकबा 22 बीधा कुल रकबा 79–17 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। और विप्रार्थीगण को राजस्व लोक अदालत के भी नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी स.10 पैरोकार सरकार की ओर से जबाव पेश नही किया गया। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी की ओर से आपर्ति पेश की गई।

3.वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम ग्राम चिपड़ी नाड़ी पटवार क्षेत्र नेहरो की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 157 रकबा 7–17 बीधा व खसरा सख्या 325 रकबा 19–10 बीधा,खसरा संख्या 325/2 रकबा 30 बीधा,खसरा सख्या 349 रकबा 0–10 बीधा व खसरा सख्या 350 रकबा 22 बीधा कुल रकबा 79–17 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम चिपड़ी नाड़ी पटवार क्षेत्र नेहरो की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 157 रकबा 7–17 बीधा व खसरा सख्या 325 रकबा 19–10 बीधा,खसरा संख्या 325/2 रकबा 30 बीधा,खसरा सख्या 349 रकबा 0–10 बीधा व खसरा सख्या 350 रकबा 22 बीधा कुल रकबा 79–17 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम चिपड़ी नाड़ी पटवार क्षेत्र नेहरो की ढाणी

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

सील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 157 रकबा 7–17 बीधा व खसरा सख्यां 325 कबा 19–10 बीधा,खसरा संख्या 325/2 रकबा 30 बीधा,खसरा सख्यां 349 रकबा 0–10 बीधा व खसरा सख्यां 350 रकबा 22 बीधा कुल रकबा 79–17 बीधा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2071 से 2074 से प्रमाणति होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,जिसके प्रार्थी हकदार भी है। एवं विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आपर्ति मे ऐसा कोई कारण नही बताया गया,कि जिससे प्रार्थी का आवेदन विचाराधीन रखा जावे। अतःविप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आपर्ति खारिज की जाती है। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर **ग्राम** चिपड़ी नाड़ी पटवार क्षेत्र नेहरो की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 157 रकबा 7–17 बीधा व खसरा सख्यां 325 रकबा 19–10 बीधा,खसरा संख्या 325/2 रकबा 30 बीधा,खसरा सख्यां 349 रकबा 0–10 बीधा व खसरा सख्यां 350 रकबा 22 बीधा कुल रकबा 79–17 बीधा भूमि के सबंध मे सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थी द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

09/5/12

(नाथूसिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 09/5/12 को लिखवाया जाकर मजबे आम सुनाया गया।

09/5/12

(नाथूसिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी